



# क्षेत्रीय कार्यालय

05644.238114

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)



क्रमांक:-रा.प्र.नि.मं./क्षे.का.(भरतपुर)/सामान्य- 224/1128-1137

दिनांक 11/08/23

मैसर्स एस.पी. एसोसियेट्स,

(खनन पट्टा संख्या 01/1995)

निकट ग्राम लहचौरा कलौं, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज.)

विषय :- दिनांक 14.09.2023 को आयोजित की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत।

सन्दर्भ:- जिला कलक्टर, भरतपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/12/11/0/2023/6015 दिनांक 10.08.23।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मैसर्स एस.पी. एसोसियेट्स, सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के समावेश मय खनन (खनन पट्टा संख्या 01/1995 क्षेत्रफल 40.06 हैक्टेयर) निकट ग्राम लहचौरा कलौं, तहसील बयाना, जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 46,23,528 टन प्रतिवर्ष (रोम) (Saleable silica sand - 13,87,058.4 टन प्रतिवर्ष, Saleable masonry stone - 27,74,116.8 टन प्रतिवर्ष और Waste - 4,62,352.8 टन प्रतिवर्ष) व प्रस्तावित क्रैशर प्लांट (संख्या 3) मय क्षमता 4000 टन प्रतिदिन एवं प्रस्तावित एम-सैण्ड प्लांट - 1000 टन प्रतिदिन (खनिज का प्रसंस्करण खनिज को आकार देना, कुचलना, पीसना, धोना एवं लाभकारी संयंत्र के माध्यम से प्रसंस्करण) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 14.09.2023 (गुरुवार) को अपराह्न 02.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, लहचौरा कलौं, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में आयोजित की जानी हैं।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में जन सुनवाई हेतु "आम सूचना" एक मुख्य दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.08.2023 से पूर्व प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उमेश कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

o/c

प्रतिलिपि :- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट ड्राफ्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार (Hindi & English) सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. ग्रुप प्रभारी, (खनन) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
4. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।
5. उप खण्ड अधिकारी, बयाना उपखण्ड, भरतपुर।
6. पंचायत समिति, बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. तहसीलदार, तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. कार्यालय, ग्राम पंचायत- लहचौरा कलौं, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।
9. ए.सी.पी. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इसे वेब साईट पर दर्शाने का श्रम करवायें।

11/08/23

क्षेत्रीय अधिकारी

रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

o/c



# क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

05644.238114



क्रमांक:-रा.प्र.नि.मं./क्ष.का.(भरतपुर)/सामान्य-224/1128

दिनांक 11/08/2023

## पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान के अनुसार मैसर्स एस.पी. एसोसियेटेड्स, सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के समावेश मय खनन (खनन पट्टा संख्या 01/1995 क्षेत्रफल 40.06 हेक्टेयर) निकट ग्राम लहचौरा कलों, तहसील बयाना, जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 46,23,528 टन प्रतिवर्ष (रोम) (Saleable silica sand – 13,87,058.4 टन प्रतिवर्ष, Saleable masonry stone – 27,74,116.8 टन प्रतिवर्ष, और Waste – 4,62,352.8 टन प्रतिवर्ष) व प्रस्तावित क्रैशर प्लांट (संख्या 3) मय क्षमता 4000 टन प्रतिदिन एवं प्रस्तावित एम – सैण्ड प्लांट – 1000 टन प्रतिदिन (खनिज का प्रसंस्करण खनिज को आकार देना, कुचलना, पीसना, धोना एवं लाभकारी संयंत्र के माध्यम से प्रसंस्करण) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 14.09.2023 (गुरुवार) को अपराह्न 02.00 बजे, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, लहचौरा कलों, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में उपस्थित होकर सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, भरतपुर (e-mail- rorpch.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए.रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे, भरतपुर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।
6. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, बयाना उपखण्ड, भरतपुर।
7. कार्यालय पंचायत समिति, बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. कार्यालय तहसीलदार, तहसील बयाना जिला भरतपुर।
9. कार्यालय, ग्राम पंचायत- लहचौरा कलों, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

Recd  
11/08/23

क्षेत्रीय अधिकारी  
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर o/c